पंचायत आम निर्वाचन, 2021

अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं.नि. 30-114/2015 - 3302

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) ।

पटना, दिनांक -26.8.21

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन,2021 – चुनाव कर्त्तव्य पर तैनात कर्मियों की यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, अनुग्रह राशि के अनुदान एवं अधिगृहित वाहनों के दर निर्धारण संबंधी पत्र का प्रेषण।

प्रसंग : 1. पंचायती राज विभाग का पत्रांक 1638 दिनांक 12.03.2021
2. पंचायती राज विभाग का पत्रांक 1639 दिनांक 12.03.2021 एवं
3. पंचायती राज विभाग का ज्ञापांक 2325 दिनांक 09.04.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों को संलग्न करते हुए कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त पंचायती राज विभाग, बिहार से निर्गत चुनाव कर्त्तव्य पर तैनात कर्मियों की यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, अनुग्रह राशि के अनुदान एवं अधिगृहित वाहनों के दर निर्धारण संबंधी निम्न पत्रों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है :-

पत्रांक/दिनांक		विषय
1. पत्रांक 1638 दिनांक 12.03.2021	–	चुनाव कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त कर्मियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अग्रिम भुगतान किये जाने के संबंध में।
2. पत्रांक 1639 दिनांक 12.03.2021	–	चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित किये जाने वाले वाहनों के लिए दर निर्धारण के संबंध में।
3. ज्ञापांक 2325 दिनांक 09.04.2021	–	चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य करणों से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर)

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-114/2015 - 3302 पटना, दिनांक - 26.8.21

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सचिव।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

D:\Bihar_E_Sandhaan_21\181

24.8.21

ज्ञापांक - पं.नि.30-114/2015 - 3302 पटना, दिनांक - 26.8.21

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आयोग के वेवबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

26/8/21

सचिव।

पत्रांक–6प0/बि0प0नि0–04/2020 2325 /पं0रा0, दिनांक– 9 /04/2021

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संकल्प

विषयः बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

पंचायत निर्वाचन के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से हुई अपंगता की स्थिति में अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में पंचायती राज विभाग का पत्रांक–2440 दिनांक–10.05.2018 प्रभावी है जिसे आगामी बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के मद्देनजर संशोधित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी।

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–558/वि0 दिनांक 06.06.2019 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के मद्देनजर लिये गये निम्नलिखित निर्णय पूर्व से संसूचित हैं :–

(i) निर्वाचन कर्त्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों के निर्वाचन कर्त्तव्य पर मृत्यु की स्थिति में ₹15.00 लाख अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा।

(ii) उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाईयों यथा रोड माईन्स, बम विस्फोट, सशस्त्र आक्रमण आदि में मृत्यु होने पर ₹30.00 लाख अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा।

(iii) स्थायी विकलांगता यथा अंग भंग, अंधापन आदि होने पर ₹7.5 लाख अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा। परन्तु उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में इस प्रकार की विकलांगता होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की दोगुनी राशि अर्थात् ₹15.00 लाख देय होगा।

3. पुनः वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–607 दिनांक 01.10.2020 के माध्यम से बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर प्रतिनियुक्त कर्मियों को अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

(i) निर्वाचन प्रक्रिया के क्रम में प्रतिनियुक्त EVM/VVPAT से संबंधित सभी इंजीनियर/कर्मी को निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी माना जायेगा।

(ii) निर्वाचन कर्त्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों की COVID-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उन्हें ₹30.00 लाख (तीस लाख रूपया) अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा।

(iii) वित्त विभागीय संकल्प सं0–2796 दिनांक–01.04.2009 एवं संकल्प सं0–558 दिनांक–06.06.2019 के प्रावधान उक्त संशोधन के साथ प्रभावी रहेंगे।

4. पंचायतों/ग्राम कचहरियों के लगभग 2.60 लाख पदों के लिए लगभग 1.20 लाख मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन कराया जाना है। राज्य में पहली बार पंचायत आम निर्वाचन मल्टी पोस्ट इ0वी0एम0 के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया में राज्य भर के लगभग 5 लाख सरकारी/गैर सरकारी/अन्य कर्मियों के सम्मिलित होने की संभावना है। वैश्विक महामारी कोविड–19 को ध्यान में रखकर निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। स्थानीय चुनाव होने के कारण पंचायत आम चुनाव काफी संवेदनशील है। वर्णित परिस्थिति में सम्यक विचारोपरान्त वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–558 दिनांक 06.06.2019 और संकल्प ज्ञापांक–607 दिनांक–01.10.2020 को दृष्टिपथ में रखते हुये पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2440 दिनांक–10.05.2018 की कंडिका–05 और 06 को समेकित रूप से निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :–

(i) पंचायत निर्वाचन कर्त्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों की कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर ₹15.00 लाख (पन्द्रह लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान के रूप में उनके निकटतम आश्रित को देय होगा।

(ii) उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाईयों यथा रोड माईन्स, बम विस्फोट, सशस्त्र आक्रमण आदि में मृत्यु होने पर ₹30.00 लाख (तीस लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा।

(iii) स्थायी विकलांगता यथा अंग भंग, अंधापन आदि होने पर ₹7.5 लाख (सात लाख पचास हजार रूपये) देय होगा। परन्तु उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में इस प्रकार की विकलांगता होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की दोगुनी राशि अर्थात् ₹15.00 लाख (पन्द्रह लाख रूपये) देय होगी।

(iv) पंचायत निर्वाचन कर्त्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों की COVID-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित को ₹30.00 लाख (तीस लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा। जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0) अपनी अनुशंसा में स्पष्ट करेंगे कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु निर्वाचन कर्त्तव्य पर रहने के दौरान ही कोविड होने के कारण हुई है। कोविड–19 की पुष्टि से संबंधित जाँच प्रतिवेदन संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(v) पंचायत निर्वाचन/उप निर्वाचन के अवसर पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा 'निर्वाचन कार्यों में लगाये गये सभी व्यक्ति (जैसे कि पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, दंडाधिकारी, इ0वी0एम0 से संबंधित कार्य में प्रतिनियुक्त इंजीनियर/कर्मी, चौकीदार, ग्राम रक्षा दल के सदस्य, चुनाव के लिए अधिगृहित वाहनों के चालक, मोटर वाहन अधिनियम अन्तर्गत अधिकृत व्यक्ति, पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी कर्मी, गृह रक्षक, केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य इत्यादि) उपर्युक्त प्रावधानों से आच्छादित होंगे। किन्तु उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाईयों में मृत्यु के फलस्वरूप पंचायत निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त किसी चुनाव कर्मी या सुरक्षा कर्मी के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य योजना के अन्तर्गत देय अनुग्रह अनुदान/बीमा राशि भुगतेय होने की स्थिति में राज्य सरकार निर्धारित ₹30.00 लाख (तीस लाख रूपये) तक की सीमा तक ही अन्तर राशि का भुगतान करेगी।

5. उपर्युक्त संशोधित प्रावधान बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 से प्रभावी होंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

9.4.21

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:–6प0/बि0प0नि0–04/2020/2325/पं०रा० दिनांक–9/4/2021

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.4.21

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:–6प0/बि0प0नि0–04/2020/2325 पं०रा० दिनांक–9/4/2021

प्रतिलिपि:– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.4.21

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

(55

महत्वपूर्ण
बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021

पत्रांक : 6प/बि0प0नि0-01/2021.1638./पं0रा0 814

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

विजय रंजन, भा0प्र0से0
निदेशक

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12/3/2021

विषय : बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर चुनाव कर्त्तव्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अग्रिम भुगतान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त किये जानेवाले कर्मियों को अग्रिम यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान वित्त विभाग से परामर्शित निम्नलिखित सारणी में अंकित दरों के अनुरूप किये जाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है :-

क्र. स.	कर्मियों का पदनाम	प्रशिक्षण प्राप्ति के दिनों की संख्या	प्रशिक्षण कार्य के लिए भुगतान दर	मतदान/मतगणना के दिनों की संख्या	मतदान/मतगणना कार्य पर भुगतान दर
1.	पीठासीन पदाधिकारी	तीन	₹500/- प्रतिदिन	तीन	₹500/- प्रतिदिन
2.	मतदान अधिकारी एक एवं दो	तीन	₹375/- प्रतिदिन	तीन	₹375/- प्रतिदिन
3.	मतदान अधिकारी तीन/ चतुर्थवर्गीय कर्मचारी	तीन	₹250/- प्रतिदिन	तीन	₹250/- प्रतिदिन
4.	सेक्टर पदाधिकारी/ जोनल दंडाधिकारी/गश्ती दल दंडाधिकारी	एक	₹500/- प्रतिदिन	एकमुश्त	₹2000/-एकमुश्त
5.	सरकारी चालक	-	-	तीन	₹375/- प्रतिदिन
6.	मतगणना पर्यवेक्षक	एक	₹500/- प्रतिदिन	एक	₹500/- प्रतिदिन
7.	मतगणना सहायक	एक	₹375/- प्रतिदिन	एक	₹375/- प्रतिदिन
8.	मतगणना अनुसेवक	एक	₹250/- प्रतिदिन	एक	₹250/- प्रतिदिन
9.	माइक्रोप्रेक्षक (मतदान हेतु)	एक	₹500/--प्रतिदिन	एक मुश्त	₹2000/-
10	माइक्रोप्रेक्षक (मतगणना हेतु)	एक	₹500/--प्रतिदिन	एक मुश्त	₹500/-

D:\ayaj sir 2019\Bihar panchayat gen election 2021\Letter by OSD Mrinayak Sir.doc

11	पुलिस निरीक्षक / पुलिस अवर निरीक्षक	एक	₹500/– प्रतिदिन	तीन	₹500/– प्रतिदिन
12	सहायक निरीक्षक / हवलदार / सिपाही	एक	₹375/– प्रतिदिन	तीन	₹375/– प्रतिदिन
13	चौकीदार / दफादार / दलपति / एन0सी0सी0 कैडेट / स्कॉट गाईड्स	एक	₹250/– प्रतिदिन	तीन	₹250/– प्रतिदिन
14	गृह रक्षक	—	निर्धारित दर से दैनिक भत्ता	—	निर्धारित दर से दैनिक भत्ता
15	राज्य स्तरीय / प्रमंडल स्तरीय / जिला / अनुमंडल स्तर के मास्टर प्रशिक्षक	—	—	एक मुश्त	₹2000/–
16	पर्दानशी महिलाओं की पहचान हेतु प्रतिनियुक्त कर्मी	—		एक दिन	₹250/–

उपर्युक्त भुगतान की राशि में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दोनों सम्मिलित हैं।

2. सुरक्षित रखे गये कर्मियो को, निर्वाचन कर्त्तव्य पर आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त किये जाने की स्थिति में, उन्हें भी संबंधित कोटि के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

3. मतदान / मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों / सुरक्षा कर्मियों के भोजन / नाश्ते की व्यवस्था हेतु अधिकतम ₹250.00 (दो सौ पचास रूपये) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से व्यय किया जा सकेगा। जहाँ ऐसा करना संभव नहीं हो वहाँ ₹250.00 (दो सौ पचास रूपये) मात्र की राशि प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति की दर से नकद भुगतान किया जायेगा।

4. मतदान / मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त पुलिस / सुरक्षा कर्मियों को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता का भुगतान गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये आवंटन से किया जायेगा।

5. यात्रा व्यय के लिए अग्रिम के रूप में कोषागार से निकासी की गयी राशि का समायोजन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1011 दिनांक–17.02.2009 के अनुसार किया जायेगा।

इसकी सूचना कृपया सभी संबंधितों को दे दी जाये।

विश्वासभाजन

निदेशक
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 6प / बि0प0नि0–01 / 2021 1638 / पं0रा0 — पटना, दिनांक 12/3/2021

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

D:\ayaj sir 2019\Bihar panchayat gen election 2021\Letter by OSD Mrinayak Sir.doc

अत्यावश्यक
बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021

पत्रांक : 6प/बि0पं0नि0–06/2020/1639/ पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

विजय रंजन, भा0प्र0से0
निदेशक।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
(पं0)–सह–जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांकः 12/3/2021

विषयः बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित किये जानेवाले वाहनों के लिए दर निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा आम चुनाव 2020 के लिए अधिग्रहित वाहनों के मुआवजा भुगतान हेतु परिवहन विभाग, बिहार के पत्रांक–6204 दिनांक 31.08.2020 द्वारा दर निर्धारण संबंधी पत्र निर्गत किया गया था।

सम्यक विचारोपरान्त बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर अधिग्रहित वाहनों के मुआवजा का भुगतान विगत बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 के लिए निर्धारित दर के अनुरूप करने का निर्णय लिया गया है जो निम्नवत है :–

क्र० सं०	वाहनो का प्रकार	दैनिक मुआवजा का दर
1.	बस (50 एवं अधिक बैठान क्षमता)	₹2850.00
2.	बस (40 से 49 सीट)	₹2600.00
3.	मिनी बस (23 से 39 सीट)	₹1950.00
4.	मैक्सी/सीटी राईड/विंगर/टैम्पों/ट्रैवलर एवं समकक्षीय (14 से 22 सीट)	₹1500.00
5.	छोटी कार (सामान्य)	₹800.00
6.	छोटी कार (वातानुकूलित)	₹900.00
7.	ट्रैंकर/जीप/कमांडर/जिप्सी एवं समकक्षीय वाहन	₹900.00
8.	बोलेरो/सुमो/मार्शल (सामान्य)	₹1000.00
9.	बोलेरो/सुमो/मार्शल (वातानुकूलित)	₹1200.00
10.	जाइलो/स्कारपियो/क्वालिस/टवेरा (वातानुकूलित)	₹1600.00
	इनोवा/सफारी (वातानुकूलित)	₹1700.00
11.	विक्रम/एस मैजिक/मिनीडोर/ओमनी/फॉर्स/मेटाडोर एवं समकक्षीय वाहन	₹750.00
12.	ऑटो रिक्शा	₹500.00
13.	मोटर साईकिल	₹250.00
14.	भारी मालवाहक (क) सकलयान भार 12000–16200 कि0ग्रा0 (छः चक्का यान)	₹1950.00

	(ख) सकलयान भार 16201–25000 कि0ग्रा0 (दस चक्का यान/डम्पर)	₹2470.00
	(ग) सकलयान भार 25001 कि0ग्रा0 एवं उसके अधिक (दस चक्का से अधिक)	₹2600.00
15.	मध्यम मालवाहक/मिनी ट्रक सकलयान भार (7501–11999 कि0ग्रा0)	₹1300.00
16.	हल्का मालवाहक (क) सकलयान भार 3000 कि0ग्रा0 तक	₹715.00
	(ख) सकलयान भार 3001–7500 कि0ग्रा0 डिलीवरी भान/ समकक्षीय	₹1100.00
17.	ट्रैक्टर–ट्रेलर	₹800.00
18.	ई–रिक्शा/e-cart (without fuel)	₹600.00

(i) मुआवजे की उपर्युक्त दर वाहन के ईंधन के अतिरिक्त देय होगी।

(ii) वाहनों के तिथि विशेष के पूर्वाह्न एवं अपराह्न में अधिग्रहण होने पर क्रमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर अनुमान्य किया जायेगा।

(iii) इस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

3. सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र की प्रति सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधितों को भी उपलब्ध करा दें।

विश्वासभाजन

निदेशक
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 6प/बि0पं0नि0–06/2020/1639/ पं०रा० पटना, दिनांक 12/3/2021
प्रतिलिपि : सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना